न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी :– अयूब खान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 158/2008.

वादीगण

1. बीरा बेवा स्व0 जोधाराम जी, जाति लोहार, निवासी– गांव सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. मांगीलाल पुत्र स्व0 जोधाराम जी, जाति लोहार, निवासी– गांव सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. हरिराम पुत्र जोधाराम जी, जाति लोहार, निवासी– गांव सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।
2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

.....

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

(1) श्री अनिल राठी, अधिवक्ता वादी की तरफ से।
(2) राजकीय अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से।
(3) श्री हैदर अली, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 की तरफ से।

निर्णय

दिनांक 24/01/2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण की संयुक्त रूप से कब्जे व काश्त वाली भूमि खेत खसरा संख्या 391 में से 6 बीघा वाके ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त कृषि भूमि पर वादी संख्या 1 के पति एवं वादी संख्या 2 व 3 के पिता स्व0 जोधारामजी का संवत 2011 से पूर्व का कब्जा था। संवत 2012 में जब ग्राम सालावास में सेटलमेंट हुआ, तब

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

से स्व0 जोधारामजी का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर अतिक्रमी दर्ज था। संवत 2012 की खसरा गिरदावरी में भी जोधा लोहार का नाम दर्ज है तथा खसरा परिवर्तनशील संवत 2012 में लगातार जोधाराम पुत्र साधु लोहार व उसके देहान्त होने पर वादीगण का नाम काश्तकार के रूप में दर्ज है यानि जोधारामजी जीवित थे, तब तक वो शांतिपूर्ण रूप से अपने कब्जे की जमीन पर काश्त करते थे तथा उनका देहान्त होने पर वादीगण उनके वारिसान होने के कारण आज दिन तक काबिज हैं और बतौर काश्तकार के रूप में काश्त कर रहे हैं। वादीगण उक्त खसरा संख्या 391 में से 6 बीघा भूमि पर शांतिपूर्ण रूप से काबिज व काश्त करते चले आ रहे हैं तथा आज दिन तक वादीगण उक्त खसरे की भूमि में से 6 बीघा भूमि पर काबिज हैं। वादीगण का कब्जा लगातार बिना किसी रूकावट के निर्बाद रूप से चला आ रहा है, इसलिए वादीगण स्वतः काश्तकार हो गए हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त राजस्व अभिलेख खसरा परिवर्तनशील संवत 2011 से 2062 तक सभी में स्व0 जोधाराम पुत्र साधुराम लोहार व उसके बाद वादीगण का नाम अभिलेख में दर्ज है। इन सभी दस्तावेजों की रोशनी में स्पष्ट है कि स्व0 जोधा पुत्र साधु लोहार का संवत 2011–2012 से लगातार निर्बाद कब्जा चला आ रहा था तथा उनके देहान्त के बाद उनके वारिसान् वादीगण होने के कारण उनका निर्बाद रूप से कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार वादीगण उक्त खसरा संख्या 391 में से 6 बीघा भूमि का अपने आपको काश्तकार घोषित करवाने का हक–अधिकार रखते हैं। वादीगण आज दिन तक उक्त खसरा संख्या 391 में से 6 बीघा भूमि पर काबिज हैं तथा सभी राजस्व अभिलेखों में उनके नाम का इन्द्राज है। वादीगण उक्त खसरे की भूमि 6 बीघा पर शांतिपूर्ण रूप से काबिज हैं तथा उनका कब्जा जोधाराम पुत्र साधु लोहार के नाम से तथा उनके स्वर्गवास के बाद वादीगण का निर्बाद व शांतिपूर्ण रूप से चला आ रहा है, इसलिए वादीगण उक्त कब्जे की भूमि खसरा संख्या 391 रकबा 6 बीघा हेतु अपने आपको खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हैं। दिनांक 04.04.2008 को तहसील लूणी से कुछ कर्मचारी आए और उन्होंने वादीगण को उनकी कब्जा व काश्त वाली भूमि खाली करने को कहा। जब वादीगण ने बताया कि यह उनकी पुश्तैनी व पुराने कब्जे वाली जमीन है, जिस पर वह 40–50 वर्षों से अपने पिता व पति के जीवनकाल से काबिज है। इस पर वो चले गए और कहा कि आप कब्जा खाली कर देना, अन्यथा हम बलपूर्वक तुम्हें हटा देंगे। अंत में वादी ने यह प्रार्थना की कि वादीगण के ग्राम सालावास के खसरा संख्या 391 में से 6 बीघा भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जावे और प्रतिवादी को पाबंद किया जावे कि स्वयं, उसके कर्मचारियों की मार्फत वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, लूणी ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा गिरदावरी संवत 2012–13 में खसरा संख्या 391 में रकबा 10 बीघा पर जोधा लुहार के

Scanned by CamScanner

नाम गिरदावरी दर्ज है। संवत 2025 के खसरा परिवर्तन में परिवर्तन से 2030–2032 से 2034, 2037 से 2039, 2041 से 2043, 2046 से 2052, 2053 से 2055, 2064–2065 में दर्ज है तथा जोधाराम पुत्र पाबुरामजी जाति लुहार के नाम अतिक्रमण दर्ज पाया गया, जिसमें वादी का रकबा 6 बीघा भूमि पर कब्जा राजकीय रेकर्ड अनुसार रहा है। जोधाराम की मृत्यु के पश्चात् 2056 में वीरा बेवा जोधाराम, मांगीलाल पुत्र जोधा के नाम पी–14 में अतिक्रमण दर्ज है। वर्ष 2008 संवत 2065 में नायब तहसीलदार कोर्ट में प्रकरण संख्या 93/2008 में रकबा 6 बीघा पर अतिक्रमण दर्ज पाया गया, जिसके विरूद्ध कार्यवाही चल रही है। वादीगण द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जे की नियम से गलत तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण का दावा खारिज होने योग्य है।

दावे के विचारण के दौरान उक्त खसरे की भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को पक्षकार मुकदमा बनाया गया, लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 ने बावजूद तामील के कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और दिनांक 25.03.2014 को प्रतिवादी संख्या 2 के जवाब का अवसर समाप्त किया गया।

दावा व जवाबदावा के आधार पर निम्न विवाद्यक कायम किए गए :–

(1) आया वादीगण खेत खसरा संख्या 391 में से 6 बीघा भूमि की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने के अधिकारी हैं ?

– वादीगण

(2) आया वादीगण, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

– वादीगण

(3) दादरसी ?

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में पी.डब्ल्यू. 1 मांगीलाल पुत्र जोधाराम, पी.डब्ल्यू. 2 हरीराम पुत्र जोधाराम, पी.डब्ल्यू. 3 मोहनलाल पुत्र राणाराम, पी. डब्ल्यू. 4 यासीन खां पुत्र केहरा खां के बयान कलमबद्ध करवाए और दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज खसरा परिवर्तनशील, खसरा गिरदावरियां, खसरा संख्या 391 में अन्य लोगो के नाम खातेदारी के नामान्तरकरण, जमाबंदियां व राजस्व नक्शा इत्यादि प्रस्तुत किए।

प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से पटवारी ग्राम सालावास ओमप्रकाश ने अपने बयान कलमबद्ध करवाए और किसी तरह की कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

हमने उभय पक्षों की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह बहस की कि वादीगण के पति/पिता स्व0 जोधाराम पुत्र पाबुराम लुहार का कृषि भूमि खसरा संख्या 391 की 6 बीघा वाके ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर पर संवत 2011 के पूर्व से कब्जा–काश्त चला आ रहा था। वादीगण के पति/पिता के देहान्त के उपरान्त वादीगण का इस कृषि भूमि पर कब्जा–काश्त चला आ रहा है। संवत 2012 में जब ग्राम सालावास में सेटलमेंट हुआ, तब से स्व0 जोधारामजी का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर अतिक्रमी दर्ज था। संवत 2012 के खसरा गिरदावरी में भी जोधा लोहार का नाम दर्ज है और खसरा परिवर्तनशील संवत 2012 में लगातार जोधाराम पुत्र पाबु, लोहार व उनके देहान्त के बाद वादीगण का नाम काश्तकार के रूप में दर्ज है। पूर्व में उक्त खसरे की भूमि खालसा के रूप में दर्ज थी, परन्तु अब इसको गलत रूप से गैर–मुमकिन लाटा बताया जा रहा है। वादीगण के पति/पिता के साथ ही साथ अन्य लोगों का भी नाम खसरा गिरदावरी इत्यादि में बतौर काश्तकार दर्ज होता आया है और समय–समय पर उन काश्तकारों के नाम भूमि आवंटित हो चुकी हैं, जिनकी जमाबंदी व नामान्तरकरण पत्रावली पर पेश हैं। उक्त सभी आवंटनसुदा भूमियां जो अन्य लोगों के खातेदारी में दर्ज हैं, वादीगण की भूमि के चारों तरफ हैं। वादीगण के पति/पिता खेती–बाड़ी कर अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण कर रहे थे और वादीगण के पति/पिता के देहान्त के उपरान्त वादीगण का कब्जा–काश्त शांतिपूर्वक लगातार चला आ रहा है। इस भूमि पर वादीगण के पति/पिता व उसके उपरान्त वादीगण का कब्जा वक्त सेटलमेंट से पूर्व से होना बखूबी साबित है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार इस भूमि पर वादीगण को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। दावे के विचारण के दौरान उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज हो चुकी है, परन्तु उससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर किसी तरह का कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है। अधिवक्ता वादीगण ने न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 2007 राजस्थान 73 प्रस्तुत कर इस संबंध में यह भी बहस की कि मौजूदा प्रकरण में लिस्पेन्डेंसी का सिद्धान्त लागु होता है। उक्त भूमि दावे के विचारण के दौरान जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज होने से दावे पर भूमि का हस्तान्तरण होने का कोई प्रभाव नहीं है। अधिवक्ता वादीगण ने न्यायिक दृष्टान्त 1990 आर.आर.डी. 629, 1991 आर.आर.डी. 1 प्रस्तुत कर बहस की कि वादीगण व उसके पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व से लगातार विवादित भूमि पर काबिज है, खेती करते आ रहे हैं और इस कारण वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा अपने हक में करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से पटवारी सालावास साक्ष्य में उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने भी अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने या तहसीलदार साहब ने वादीगण के अतिक्रमण होने बाबत् कोई

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

दस्तावेज पेश नहीं किए हैं, यह भी स्वीकार किया है कि वादीगण को कभी भी अतिक्रमी मानकर खसरा संख्या 391 से बेदखल नहीं किया है, यह भी स्वीकार किया है कि वादीगण खसरा संख्या 391 पर कृषि कार्य करते आ रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि वादीगण का इस भूमि पर पुराना कब्जा–काश्त चला आ रहा है। वादीगण को इस भूमि का खातेदार–काश्तकार घोषित किया जावे और राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 के राजकीय अधिवक्ता ने बहस में जवाबदावे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की कि वादीगण का इस भूमि पर कब्जा अतिक्रमी के रूप में हैं और इसी अनुसार दर्ज है, इसलिए वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

प्रतिवादी संख्या 2 जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिवक्ता ने बहस की कि वर्तमान में उक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है, इसलिए वादीगण इस संबंध में अपने हक में खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

हमने उभय पक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर मौजूद दोनों पक्षों की मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। इस प्रकरण में विरचित विवाद्यक अनुसार हमें यह तय करना है कि वादीगण विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 391 रकबा 6 बीघा भूमि का अपने आपको खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है अथवा नहीं ? जहां तक मौजूदा विवादित कृषि भूमि में वादीगण को खातेदार घोषित किए जाने का संबंध है, वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि उनका व उनके पति/पिता स्व0 जोधाराम का खसरा संख्या 391 की 6 बीघा भूमि पर वक्त सेटलमेंट के काफी समय पूर्व से ही कब्जा–काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में पी. डब्ल्यू. 1 मांगीलाल पुत्र जोधाराम, पी.डब्ल्यू. 2 हरीराम पुत्र जोधाराम, पी.डब्ल्यू. 3 मोहनलाल पुत्र राणाराम, पी.डब्ल्यू. 4 यासीन खां पुत्र केहरा खां के शपथ पत्र मुख्य परीक्षण के रूप में पेश किए और जिरह में इन गवाहान् ने यह सिद्ध किया है कि खसरा संख्या 391 की 6 बीघा भूमि पर वादीगण व उनके पति/पिता स्व0 जोधा का वक्त सेटलमेंट के पूर्व से कब्जा–काश्त चला आ रहा है, जिस पर वादीगण खेती करते आ रहे हैं और इसी खसरे की अन्य भूमि अन्य काश्तकारों को पुराने कब्जे के आधार पर आवंटित की गई है। वादीगण ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार विवादित कृषि भूमि पर कब्जा–काश्त होने का कथन किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण के पति/पिता स्व0 जोधाराम खसरा संख्या 391 की 6 बीघा कृषि भूमि पर खेती करते आ रहे हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील इत्यादि से यह स्पष्ट है कि वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

पति/पिता स्व0 जोधाराम लोहार व उनके देहान्त के उपरान्त वादीगण के नाम उक्त भूमि दर्ज है और साथ ही साथ इस खसरे की भूमि अन्य काश्तकारों के नाम आवंटित हुई है, परन्तु काश्तकारों के नाम खातेदारी भूमि दर्ज होने के उपरान्त शेष रही भूमि दावे के विचाराधीन रहते हुए जोधपुर विकास प्राधिकरण के खाते में बतौर गैर मुमकिन लाटा दर्ज हुई है। दस्तावेजों के अवलोकन से खसरा संख्या 391 की भूमि के संबंध में यह स्थिति स्पष्ट हो रही है कि जमाबंदी में अंकन अनुसार अन्य काबिज काश्तकारों के नाम कृषि भूमि बतौर खातेदारी दर्ज हो चुकी है, परन्तु वादीगण का नाम ही बतौर खातेदार दर्ज नहीं हुआ है। इसके विपरीत प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या राजस्व रेकर्ड पेश नहीं किया गया है, जिससे यह स्थिति स्पष्ट हो कि वादीगण या उनके पति/पिता का नाम बतौर अतिक्रमी इस भूमि में दर्ज हो रहा हो। स्वयं ग्राम सालावास के पटवारी ने यह बयान दिया है कि उन्होंने या तहसीलदार साहब ने वादीगण के अतिक्रमण होने बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं, यह भी स्वीकार किया है कि वादीगण को कभी भी अतिक्रमी मानकर खसरा संख्या 391 से बेदखल नहीं किया है, यह भी स्वीकार किया है कि वादीगण खसरा संख्या 391 पर कृषि कार्य करते आ रहे हैं। इस तरह प्रतिवादी की तरफ से प्रस्तुत गवाह पटवारी सालावास ने अपनी जिरह में यह बखूबी स्वीकार किया है कि उसने विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा देखा है। प्रतिवादी की ओर से ऐसे कोई दस्तावेजात या रसीदें प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिनसे वादीगण का कब्जा विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमी दर्ज हो रहा है और वादीगण के द्वारा अतिक्रमण का जुर्माना अदा किया गया हो। इससे स्पष्ट हो रहा है कि वादीगण के पति/पिता स्व0 जोधाराम विवादित कृषि भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से काफी समय पहले से ही खेती कर रहे थे और काबिज थे और उनके देहान्त के उपरान्त वादीगण विवादित कृषि भूमि पर खेती करते आ रहे हैं। प्रतिवादी द्वारा कभी भी वादीगण या उनके पूर्वज को अतिक्रमी दर्ज किया हो, ऐसा कोई उल्लेख राजस्व रेकर्ड में नहीं है। हमारी विनम्र राय में चूंकि वादीगण के पूर्वज विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 391 की 6 बीघा भूमि पर कृषि कार्य करते आ रहे हैं और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के काफी समय पहले से ही लगातार कृषि कर रहे हैं। राजस्व रेकर्ड अनुसार उक्त भूमि कृषि योग्य भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागु होने के समय वादीगण के पूर्वज बतौर काश्तकार विवादित कृषि भूमि पर खेती कर रहे थे और लगातार वादीगण व उनके पूर्वज इस भूमि पर काबिज हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण व उनके पूर्वजों को स्वतः ही इस विवादित कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गए हैं। विवादित कृषि भूमि पर कब्जा होने से किसी प्रकार का इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसका बखूबी उल्लेख राजस्व रेकर्ड में निरन्तर होता रहा है। इन परिस्थितियों में वादीगण को विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 391 रकबा 6 बीघा का खातेदार/काश्तकार घोषित किए जाना उचित

उपखण्ड अधिकारी
(जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

प्रतीत होता है और इस आधार पर वादीगण खातेदारी घोषणा पाने के अधिकारी है। फलस्वरूप वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर वादीगण को खसरा संख्या 391 रकबा 6 बीघा वाके ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर का खातेदार/काश्तकार घोषित किया जाता है और तहसीलदार, लूणी को आदेश दिया जाता है कि वे राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम ग्राम सालावास के खसरा संख्या 391 रकबा 6 बीघा दर्ज करें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादीगण, वादीगण के कब्जा–काश्त में न तो स्वयं दखलंदाजी करें और न ही किसी अन्य से करावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/01/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

24/01/2018.

(अयूब खान)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी, जिला जोधपुर।

Scanned by CamScanner